BA - 2, Paper - 1
TOPIC - Executive (कार्यपालिका)
Date - 05.04.2020

Seema Kumari
Asst. Prof. (Pol. Sc.)
RMC, Sasaram

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां (Emergency Powers).

राष्ट्रीय आपात :

- Art 352 युद्ध बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के द्वारा भारत की सुरक्षा पर खतरे के आधार पर की जाती है। कैबिनेट की लिखित अनुशंसा मिलने पर ही राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। अब तक 1962, 1971 व 1975 में कुल तीन बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है।
- आपातकाल में राज्य के संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग केंद्र द्वारा किया जाता है।
- Art 20, Art 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है।

State emergency or President's Rule :- राज्यीय आपात

- Art 356 राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता या केंद्र के निर्देशों को पालन करने या प्रभावपूर्ण बनाने में असफल होने की दशा में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर।
- संसद की स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति शासन की ~~घोषणा~~ घोषणा के दिन से 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। इसे अधिकतम 3 वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

• वितीय आपात (Financial emergency) -

• वितीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा हो तब,

• वितीय आपात की कोइ निश्चित सीमा नही है।

Art 360 यदि राष्ट्रपति को यकीन हो जाए देश अथवा देश के किसी भाग की वितीय स्थिरता को खतरा है। तब वितीय आपात की घोषणा कर सकता है।

राजनयिक शक्तियां (Diplomatic Powers)

• अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौतों का नेगोशिएशन या समापन राष्ट्रपति की ओर से होता है। यह संसद की स्वीकृति मिलने पर निर्भर करता है।

सैन्य शक्तियां (Military Powers)

• वह भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमाण्डर है।

• वह थलसेना, नौसेना, व वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है।

• संसद की स्वीकृति मिलने के आधार पर वह युद्ध तथा युद्धविराम की घोषणा करता है।

न्यायपालिका शक्तियां (Judicial Powers)

• राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय व क्षेत्रीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।

• कानून या तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्या० से सलाह मांग सकते हैं। लेकिन बाध्य नही है।

• निम्न परिस्थितियों में वेह राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के अपराध पर मिले दंड को क्षमा, प्रविलम्बन, विराम, परिहार, लघुकरण कर सकते हैं Art 72

- केवल राष्ट्रपति को ही यह शक्ति प्राप्त है कि वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर मृत्युदंड के संबंध में क्षमादान कर सकता है।

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति :-

- राष्ट्रपति को केवल नाममात्र की कार्यपालिका बनाया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है। Art-74 के अनुसार, प्रधान मंत्री के नेतृत्ववाली मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह पर ही राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों व कार्यों का प्रयोग करना होता है।

राष्ट्रपति को कोई सांविधानिक विवेक शक्ति नहीं, अपितु केवल कुछ परिस्थितिमूलक विवेक शक्ति प्राप्त है। विवेकाधिकार निम्न हैं :-

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जब कोई दल स्पष्ट बहुमत न प्राप्त कर सका हो।
2. मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी यदि वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध न कर सकता हो।
3. लोकसभा का भंग किया जाना, यदि मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया हो।

राष्ट्रपति को 'भारत के प्रथम नागरिक' की संज्ञा दी जाती है। संविधान के उल्लंघन के लिए किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव (Art-61) द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव की प्रकृति अर्द्धन्यायिक है। राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 ₹ होता है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद एक प्रतिष्ठा व सम्मान योग्य पद है। इस पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति राष्ट्र के प्रतीक होते हैं।

Scanned with CamScanner